न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:- प्रार्थना पत्र संख्या 51/2019

निर्णय दिनांक :- 27.11.19

जगुराम पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी ग्राम भावनदेसर तहसील रतनगढ जिला चूरू
... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू
2. नायब तहसीलदार, उप तहसील राजलदेसर जिला चूरू

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:-

1. श्री करणीसिंह अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रेकार्ड में अकिंत नाम का शुद्वीकरण करवाने हेतु दिनांक 14.8.2019 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 30 खेत ख.नं. 42 तादादी 1.49 हैक्टेयर ख.नं. 65 तादादी 1.96 हैक्टेयर कुल तादादी 3.45 हैक्टेयर रोही ग्राम भावनदेसर में स्थित है। प्रार्थी का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इस खाता सं. 30 की भूमि में प्रार्थी का नाम जगुराम पुत्र सांवता अकिंत है। इसी प्रकार प्रार्थी के खाता संख्या 28 में ख.नं. 405 व 496/402 कुल तादादी 3.6168 हैक्टेयर रोही ग्राम भावनदेसर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा है। इस खाता सं. 28 के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम जगदीशप्रसाद पुत्र सांवताराम अकिंत है। इसी प्रकार खाता सं. 29 के ख.नं. 422, 423, 426, 527/91 कुल तादादी 6.8291 हैक्टयर रोही ग्राम भावनदेसर में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा है ओर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में जगदीशप्रसाद पुत्र सांवताराम अकिंत चला आ रहा है। प्रार्थी का वास्तविक नाम "जगुराम पुत्र सांवताराम" है। प्रार्थी के नाम से जारी आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक खाता में जगुराम पुत्र सांवताराम अकिंत है। उपरोक्त वर्णित

27.11.19
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

खातों की भूमि में प्रार्थी एवं उसके पिता का नाम सहीं अकिंत किया जावे। अप्रार्थी ने न्यायालय के आदेश के बिना शुद्वि किये जाने से इन्कार कर दिया है। इसलिए यही प्रार्थना पत्र का आधार है।

2. प्रार्थी का नाम शुद्व किये जाने से अन्य सह खातेदारों के अधिकारों पर कोई असर नही पड़ेगा। यह एक लिपिकीय त्रुटि है, जिसे सही एवं शुद्व अकिंत किये जाने के आदेश फरमावें।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा तहसीलदार रतनगढ से अभिलेख के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट कमांक 751 दिनांक 31.10.2019 के द्वारा न्यायालय में प्राप्त हुई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का सही नाम जगुराम व पिता का नाम सांवताराम है। राजस्व रेकार्ड में जगदीशप्रसाद अशुद्व अकिंत है। तहसीलदार भू.अ., ने राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम जगुराम सांवताराम अकिंत किया जाना उचित बताया है।

4. बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार राज सुनी गई। प्रार्थना पत्र, एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेकार्ड मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, एवं तहसीलदार रतनगढ की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट आदि का भलीभातिं अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम लिपिकीय त्रुटि से अशुद्व अकिंत हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड में शुद्व नाम अकिंत किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, रतनगढ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के खाता संख्या 30 खेत ख.नं. 42 व ख.नं. 65 कुल तादादी 3.45 हैक्टेयर, खाता संख्या 28 में ख.नं. 405 व 496/402 कुल तादादी 3.6168 हैक्टेयर, व खाता सं. 29 के ख.नं. 422, 423, 426, 527/91 कुल तादादी 6.8291 हैक्टयर रोही ग्राम भावनदेसर के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम "जगदीशप्रसाद पुत्र सांवताराम" एवं जगुराम पुत्र सांवता" के स्थान पर शुद्व नाम "जगुराम पुत्र सांवताराम" अकिंत किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, रतनगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.19 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

Gsaini 27.11.19

(डॉ. गौरव सैनी)

उपखण्ड अधिकारी

रतनगढ(चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2019.11.30 16:01:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: